

दिनांक 09.03.2017 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत किसान पुरस्कार योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश/नए स्वरूप में लागू करने पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016-17 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधित अनुदेश के आलोक में वर्ष 2017-18 में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।
2. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016-17 अंतर्गत आवेदन देने वाले सभी किसानों के निबंधन शुल्क की राशि अविलम्ब वापस किया जाए।
3. किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत धान, गेहूँ, आलू, गायपालन (क्रॉस ब्रीड) एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में आगामी वर्ष में पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया।
4. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा लिए गए निर्णय के आलोक में संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया जो अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
5. गलत आवेदन पत्र देकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का पुरस्कार निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

शशि भूषण
11/03/17
(शशि भूषण कुमार विद्यार्थी)
उप निदेशक (प्रसार प्रबंधन)
बामेती, बिहार, पटना

gob
11/3/17
(गणेश राम)
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

Prasad
16.3.2017
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

दिनांक 09.03.2017 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत किसान पुरस्कार योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश/नए स्वरूप में लागू करने पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016-17 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधित अनुदेश के आलोक में वर्ष 2017-18 में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।
2. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016-17 अंतर्गत आवेदन देने वाले सभी किसानों के निबंधन शुल्क की राशि अविलम्ब वापस किया जाए।
3. किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत धान, गेहूँ, आलू, गायपालन (क्रॉस ब्रीड) एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में आगामी वर्ष में पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया।
4. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा लिए गए निर्णय के आलोक में संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया जो अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
5. गलत आवेदन पत्र देकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का पुरस्कार निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

शशि भूषण कुमार
(शशि भूषण कुमार विद्यार्थी)
उप निदेशक (प्रसार प्रबंधन)
बामेती, बिहार, पटना

गणेश राम
(गणेश राम)
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

सुधीर कुमार
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016-17/356
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक,
आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक - 20.3.17

शशि भूषण कुमार
निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

दिनांक - 20.3.17

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016-17/356
प्रतिलिपि-निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, बिहार/निदेशक, अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/अपर निदेशक (शष्य)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा नोडल सेल, बिहार/संयुक्त निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, बिहार/उप निदेशक (शष्य)पी0पी0एम, बिहार/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना/सहायक निदेशक उद्यान, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

शशि भूषण कुमार
निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016-17/ 356

दिनांक - 20.3.17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, कृषि, बिहार/निदेशक कृषि, बिहार/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार/निदेशक, उद्यान, बिहार/निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, मत्स्यपालन, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/17

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना



बिहार सरकार
कृषि विभाग

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड
टेक्नोलोजी के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल
एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत

किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2017-18 के
कार्यान्वयन हेतु अनुदेश



बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)
पोस्ट- बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना - 800014

